

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 28 मार्च, 2025 को 11.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. शून्य काल।

III. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मर्दों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

IV. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव।

एक मंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

V. ध्यानाकर्षण सूचनाएं।

| | |
|---|--|
| 1. ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-42 जिसकी सूचना- 1. श्री आदित्य सुरजेवाला, एम.एल.ए.; 2. श्री शीशपाल केहरवाला, एम.एल.ए.; 3. श्रीमती शैली चौधरी, एम.एल.ए. तथा 4. श्री कुलदीप वत्स, एम.एल.ए.; द्वारा दी गई है। | हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर) के भीतर तथा उसके आस-पास स्थित 24 शहरों में खतरनाक रूप से खराब वायु गुणवत्ता सूचकांक तथा डेटा संग्रहण तथा रिपोर्टिंग में राज्य की महत्वपूर्ण चूक से संबंधित। |
| 2. ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-14 जिसकी सूचना श्री अर्जुन चौटाला, एम.एल.ए. द्वारा दी गई है। | राज्य में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या से सम्बंधित। |

VI. नियम 121 के अधीन प्रस्ताव।

| | |
|-------------------------|--|
| एक मंत्री | प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध जहां तक कि वे :- i) लोक लेखा समिति ; ii) प्राक्कलन समिति ; iii) लोक उपक्रमों संबंधी समिति ; तथा iv) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं, को वर्ष 2025-2026 के लिए निलंबित किया जाए। "कि यह सदन, अध्यक्ष, हरियाणा विधान सभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों/ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-2026 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें"। |
| यह भी प्रस्ताव करेंगे:- | |

VII. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले कागज-पत्र।

| | | |
|----|-----------|--|
| 1. | एक मंत्री | हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा 45 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग अधिसूचना संख्या 2/5/2024-1 सी.आर.आई.डी, दिनांकित 21 अगस्त, 2024 मेज पर रखेंगे। |
|----|-----------|--|

| | | |
|-----|-----------|---|
| 2. | एक मंत्री | हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा 45 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग अधिसूचना संख्या 2/6/2024-1 सी.आर.आई.डी, दिनांकित 21 अगस्त, 2024 मेज पर रखेंगे। |
| 3. | एक मंत्री | हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा 45 (6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण अधिसूचना/विनियमन संख्या. एच.पी.पी.ए./आरइजी.-01/ प्रथम संशोधन दिनांकित 22 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे। |
| 4. | एक मंत्री | हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा 45 (6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण अधिसूचना/विनियमन संख्या. एच.पी.पी.ए./आरइजी.-02/ प्रथम संशोधन दिनांकित 22 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे। |
| 5. | एक मंत्री | हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा 45 (6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण अधिसूचना/विनियमन संख्या. एच.पी.पी.ए./आरइजी.-05, दिनांकित 22 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे। |
| 6. | एक मंत्री | हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 की धारा 45 (6) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण अधिसूचना/विनियमन संख्या. एच.पी.पी.ए./आरइजी.-06, दिनांकित 22 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे। |
| 7. | एक मंत्री | कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2019-2020 के लिए हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे। |
| 8. | एक मंत्री | कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020-2021 के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की 54 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे। |
| 9. | एक मंत्री | कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 27 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे। |
| 10. | एक मंत्री | फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफ.एम.डी.ए.) अधिनियम, 2018 (2019 का अधिनियम संख्या 9) की धारा 39 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (एफ.एम.डी.ए.) के बजट पर वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे। |

VIII. 'नेवा' पोर्टल के माध्यम से विधान सभा समितियों की रिपोर्टें प्रस्तुत करना।

| | | |
|----|--|---|
| 1. | सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति के चेयरपर्सन। | वर्ष 2024-2025 के लिए सरकारी आश्वासनों के बारे में समिति की 54 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। |
| 2. | राज्य गीत के चयन पर समिति के चेयरपर्सन। | राज्य गीत के चयन पर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। |

IX. विधायी कार्य।

(i) (पुरःस्थापित, विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

| | | |
|--|-----------|--|
| 1. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2025 | एक मंत्री | हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। |
|--|-----------|--|

| | | |
|--|-----------|--|
| 2. हरियाणा (बंदी आदान-प्रदान) निरसन विधेयक, 2025 | एक मंत्री | हरियाणा (बंदी आदान-प्रदान) निरसन विधेयक को पुनःस्थापित करेंगे; प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा (बंदी आदान-प्रदान) निरसन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। |
|--|-----------|--|

(ii) (विचार तथा पारित किए जाने वाले विधेयक)

| | | |
|--|-----------|--|
| 1. हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक, 2025 | एक मंत्री | प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा बागवानी पौधशाला विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। |
| 2. अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) विधेयक, 2025 | एक मंत्री | प्रस्ताव करेंगे कि अपर्णा संस्था (प्रबंधन तथा नियंत्रण ग्रहण) विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए; यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। |

चण्डीगढ़:
27 मार्च, 2025.

डॉ० सतीश कुमार,
प्रभारी सचिव।